न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्रभुराम पुत्र छोटाराम जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल		1तहसीलदार, जायल। 2प्रमोद कुमार पुत्र शिवदेवराम जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल।

आदेश दिनांकः 21.11.17

वकुलाय उपस्थित। मामले के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 158/15 सरकार बनाम प्रभुराम में प्रार्थी का ग्राम खेरवाड के खसरा नं. 232 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. मगरा पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश दिनांक 29.12.15 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं.2 द्वारा जवाब दिनांक 14.11.2017 को प्रस्तुत किया गया।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

2.(1) अपीलांट का जिस भूमि पर कब्जा व उपयोग उपभोग है वो अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है और उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा 30 वर्षों से भी अधिक पुराना है और इस बाबत टीपी रसीदे भी जारी की गई है तथा उक्त भूमि गै.मु. मगरा है। जो काबिल नियमन भी है। इस भूमि पर अपीलांट का कब्जा मानते हुए पूर्व में टीपी रसीदे जारी की गई। इस भूमि पर अपीलांट की वर्षो पुरानी पत्थरों की दीवार, पशुओं के लिये जगह चारा फूस आदि डालने की जगह भी बनायी हुई है। जिससे अपीलांट के द्वारा अतिक्रमण किया जाना किसी भी प्रकार से साबित नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्य की भूल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है।

2.(2) न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर ने उक्त प्रकरण जिस ऑबजरवेशन के तहत रिमाण्ड किया था। उन ऑबजरवेशन के बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने कोई पालना नही है।

2.(3) अपीलांट का विवादित भूमि पर मौके पर पिछले 30 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा होने और मौके पर पुरानी दीवार, पशुओं चारा आदि डालने की जगह बनायी हुई होने तथा अपीलांट का पुराना कब्जा मानकर टीपी रसीदे जारी किये जाने और उक्त सम्पति अपीलांट की पुश्तैनी होने तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय अपीलांट के पक्ष में होने से प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष मे है तथा सुविधा का संतुलन भी

अपर कलक्टर, नागौर

इसी में है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि रेस्पोडेन्ट गलत प्रकार से अपने निर्णय के आधार पर अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने में सफल हो जाते है तो अपीलांट के वर्षो से की गयी मेहनत और निवेश समाप्त हो जायेगे तथा अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने से उसको जो क्षति होगी उसकी पूर्ति किसी भी मोद्रिक रूप में संभव नही होगी। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। जिससे अपील के निर्णय तक अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने से रेस्पोडेन्ट को रोका जाना न्यायोचित है।

3. अप्रार्थी सं. 2 प्रमोद कुमार के अधिवक्ता द्वारा बताया कि–

3(1) प्रार्थी की अपील बनावटी व झूठे तथ्यों के आधार पर होने से खारिज होने योग्य है।
3(2) खसरा नं. 232 मौजा खेरवाड सरकारी भूमि है। जो सार्वजनिक हितो की भूमि है। जिस भूमि में ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता भी है और पानी बहाव का क्षेत्र है। जिस भूमि पर प्रार्थी ने नाजायज रूप से 15 बिस्वा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके उक्त भूमि में चलने वाले रास्ता को अवरोध कर रखा है। जिससे आम जनता का आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई तो ग्रामीणो ने जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अवैध अतिक्रमण हटाने बाबत आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर प्रार्थी के खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों का कोई हक व स्वामित्व नही है और न ही कानूनी रूप से बनता है। उक्त भूमि सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर प्रार्थी को किसी भी तरह का कब्जा व अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नही है और इस आवेदन पत्र के तहत स्वामित्व भी नही दिया जा सकता तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड से सरकारी भूमि होना साबित है और सरकारी भूमि पर प्रार्थी के द्वारा अवैध अतिक्रमण करना साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अतिक्रमी की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। उक्त भूमि सार्वजनिक हितों की भूमि है। जो पानी बहाव का क्षेत्र भी है और उक्त भूमि रास्ते के रूप में भी उपयोग एवं उपभोग आ रही है। इसलिये धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक हितों की भूमि का न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही खातेदारी अधिकार दिया जा सकता है। प्रार्थी मात्र एक अतिक्रमी है और अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नही होता है। रेस्पोडेन्ट व अन्य ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने बाबत शिकायते की जिससे प्रार्थी नाराज हो गया और नाराजगी की वजह से उक्त भूमि पर पत्थर डालकर व कच्चे पत्थरों की दीवार बनाकर और अधिक नया अतिक्रमण कर लिया गया। जबकि उक्त भूमि सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर प्रार्थी को कोई किसी तरह का कब्जा करने का व अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी के द्वारा अतिक्रमण करना पूर्ण रूप से साबित है और अतिक्रमी को बेदखल किया जाना उचित व न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
3(3) न्यायालय हाजा ने जिस ओबजरवेशन के तहत रिमाण्ड किया था। उसकी पालना की गई है और प्रार्थी अपीलांट का अतिक्रमण पाये जाने पर विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। जो आदेश हस्तक्षेप किये जाने योग्य नही है।
3(4) अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है और दिनोदिन नया अतिक्रमण कर रहा है। कोई पुराना कब्जा नही है और न ही पुस्तेनी है और न ही स्वामित्व की भूमि है बल्कि सरकारी भूमि है जो राजस्व रेकर्ड से साबित है और सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को कानूनी रूप से हटाया जाना उचित है। प्रार्थी का कोई किसी तरह का हक व अधिकार निहित नही होता है और न ही कानूनी रूप से बनता है। ऐसी स्थिति में मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नही है। बल्कि उक्त भूमि सरकारी भूमि है और सार्वजनिक हितों की भूमि है। अगर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है तो प्रार्थी को कोई किसी तरह का हक व अधिकार व स्वामित्व नही है और न ही बनता है। अगर प्रार्थी का अवैध अतिक्रमण नही हटाया जाता है तो दिनो दिन सरकारी भूमियों पर भू माफिया अवैध अतिक्रमण करेगे और आम जनता को

अपर कलक्टर, नागौर

सार्वजनिक हितों से वंचित रखेगे और संपूर्ण भूमि पर अन्य लोग भी कब्जा करेगे जिससे आम जनता का आवागमन के सारे रास्ते बंद हो जायेगे जिससे वाद विवाद बढेगे ऐसी स्थिति में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना उचित है। ताकि सरकारी भूमि व सार्वजनिक हितों की भूमि हमेशा हमेशा के लिये सुरक्षित रह सके और सरकार व आम जनता के हितों के लिये उपयोग व उपभोग में आ सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा राजकीय सार्वजनिक भूमि होने से अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही ही समुचित विकल्प है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2004(2) पेज 918 से 921 तथा आरआरटी 2006–07 (Supp.) पेज 279 से 283 नजीरे पेश की है।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 158 / 2015 सरकार बनाम प्रभुराम में पारित निर्णय दिनांक 29.12.15 के तहत मौजा खेरवाड के खसरा नं. 232 रकबा 15 बिस्वा आराजी भूमि से बेदखली से संबंधित आदेश से असंतुष्ट होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में आराजी भूमि राजकीय भूमि है तथा प्रथम दृष्टया प्रार्थी का मामला नही बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि से ही अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसे स्थगित किये जाने को लेकर ठोस आधार पत्रावली पर नही है। अतः ऐसी स्थिति में स्थगन जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

6. आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर